

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

संख्या-1/पी0-1025/2000 खण्ड का0- 11384 / भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:91) जो भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भा.प्र.से. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5(6)(बी) के अन्तर्गत जिस तिथि से संवर्ग में उनसे कनीय श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से., (झा:91) को अधिसमय से ऊपर वेतनमान प्रधान सचिव कोटि (वेतनमान- रु0 67000/- (3 प्रतिशत दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79000/-) में विभागीय अधिसूचना संख्या-11383, दिनांक 31.12.2015 द्वारा प्रोन्नति दी गई है और जिसके आलोक में वे स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं, उसी तिथि से श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:91) को अधिसमय से ऊपर वेतनमान प्रधान सचिव कोटि (वेतनमान- रु0 67000/- (3 प्रतिशत दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79000/-) में स्थानापन्न रूप से यथा रूप (प्रोफार्मा) प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुमन कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-1025/2000 खण्ड का0 - 11384/राँची, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।